

	<p>13. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।</p> <p>14. अभ्यर्थी आवेदन में आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् ऐसी योग्यता/अनुभव विचारणीय नहीं होगा, यदि आवेदन में अंकन नहीं है। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे।</p>												
<p>ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रुपये 500/- देकर Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाईन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं। किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् के पश्चात् अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी। One Time Registration (OTR) लागू किये जाने के कारण ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा। सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/- रुपये निर्धारित है। आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त ऑफलाईन/ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। 													
<p>परीक्षा शुल्क:-</p> <p>(क) सामान्य (अनारक्षित) वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :- रुपये 350/-</p> <p>(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदक हेतु :- रुपये 250/-</p> <p>(ग) निःशक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु :- रुपये 150/-</p> <p>(घ) टी.एस.पी क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं बारां जिले की समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के आवेदकों हेतु :- रुपये 150/-</p> <p>नोट :-</p> <ol style="list-style-type: none"> राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदक शुल्क देय होगा। उक्त परिपत्र के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का विकल्प चुना गया है, उन अभ्यर्थियों को पात्रता जांच/साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त लाभ राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। 													
<p align="center">परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम</p>													
<p>प्रतियोगी परीक्षा में नीचे विनिर्दिष्ट विषय पर एक प्रश्न-पत्र होगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार और अधिकतम 120 अंकों का होगा। प्रश्नपत्र का स्तरमान स्नातक डिग्री स्तर का होगा।</p>													
<p>1. सहायक अभियंता (सिविल) के लिए</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>प्रश्न-पत्र</th> <th>अंक</th> <th>अधिकतम अंक</th> <th>समय</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>भाग-अ:- सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान (राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परम्पराएँ, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल, तथा दैनिक विज्ञान)</td> <td>40</td> <td>120</td> <td>2 घण्टे</td> </tr> <tr> <td>भाग-ब:- सिविल अभियांत्रिकी (डिग्री)</td> <td>80</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	प्रश्न-पत्र	अंक	अधिकतम अंक	समय	भाग-अ:- सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान (राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परम्पराएँ, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल, तथा दैनिक विज्ञान)	40	120	2 घण्टे	भाग-ब:- सिविल अभियांत्रिकी (डिग्री)	80			
प्रश्न-पत्र	अंक	अधिकतम अंक	समय										
भाग-अ:- सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान (राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परम्पराएँ, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल, तथा दैनिक विज्ञान)	40	120	2 घण्टे										
भाग-ब:- सिविल अभियांत्रिकी (डिग्री)	80												
<p>2. राजस्व अधिकारी ग्रेड-II एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग-IV के लिए</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>प्रश्न-पत्र</th> <th>अंक</th> <th>अधिकतम अंक</th> <th>समय</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>भाग-अ:- सामान्य ज्ञान (भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परम्पराएँ, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल, समसामयिकी)</td> <td>80</td> <td>120</td> <td>2 घण्टे</td> </tr> <tr> <td>भाग-ब:- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एवं योजनाएँ</td> <td>40</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	प्रश्न-पत्र	अंक	अधिकतम अंक	समय	भाग-अ:- सामान्य ज्ञान (भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परम्पराएँ, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल, समसामयिकी)	80	120	2 घण्टे	भाग-ब:- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एवं योजनाएँ	40			
प्रश्न-पत्र	अंक	अधिकतम अंक	समय										
भाग-अ:- सामान्य ज्ञान (भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परम्पराएँ, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल, समसामयिकी)	80	120	2 घण्टे										
भाग-ब:- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एवं योजनाएँ	40												
<p>नोट:- 1. प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के 120 प्रश्न होंगे व सभी प्रश्न समान अंक के होंगे। 2. मूल्यांकन में ऋण्णात्मक अंकन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 (एक तिहाई) अंक काटे जाएंगे।</p>													
<p>अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-</p> <ol style="list-style-type: none"> अभ्यर्थी Online Application Form में अपना सही मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर आयोग द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार/परिणाम/दस्तावेज सत्यापन इत्यादि संबंधी भावी सूचना अभ्यर्थी को SMS & E-Mail के माध्यम से उपलब्ध करवायी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में इन्द्राज मोबाइल नम्बर एवं पते में परिवर्तन नहीं करें। यदि परिवर्तन करना अत्यन्त आवश्यक हो तो इसकी सूचना तत्काल आयोग को पृथक से उपलब्ध कराने का दायित्व अभ्यर्थी स्वयं का होगा। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्रोत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी त्रुटियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् ही उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत के भरोसे न छोड़ें कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा। यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के 													